रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1326] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 03, 2018/चैत्र 13, 1940
No. 1326] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 03, 2018/CHAITRA 13, 1940

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पैट्रोरसायन विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2018

का.आ. 1468(अ) .—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, तो वह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (कास्टिक सोडा) आदेश, 2018 है।

(2) यह आदेश राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग—सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो की अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा :

परंतु इस आदेश की कोई बात निर्यात के लिए बनाई गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे माल या वस्तुओं को लागू नहीं होगी, जो विदेशी क्रेता द्वारा अपेक्षित विनिर्देश के अनुरूप है।

3. प्रमाणीकरण और प्रवर्तन—भारतीय मानक ब्यूरो, इस आदेश के अधीन मानक चिह्न की अनुरूपता को प्रमाणित और प्रवर्तित करने के लिए प्राधिकारी होगा।

सारणी

क्र. सं.	माल या वस्तु	भारतीय मानक	भारतीय मानक की शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कास्टिक सोडा	आई एस 252 : 2013	कास्टिक सोडा : विनिर्देश

[फा. सं. 51020/78/2008/सीएच-2]
समीर कुमार विश्वास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the, 3rd April, 2018

S.O. 1468(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian standards, is of the opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) This Order may be called the Bureau of Indian Standard (Caustic Soda) Order, 2018.

   (2) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Compulsory use of Standard Mark.-** Goods or articles specified in column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (3) of the said Table and bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards:

   Provided that nothing in this Order shall apply in relation to goods or article as specified in the column (2) of the Table meant for export, which conform to the specification required by the foreign buyer.

3. **Certification and enforcement.** - Bureau of Indian Standards shall be the authority to certify and enforce conformity to the Standard Mark under this Order.

Table

Sl. No.	Goods or article	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Caustic Soda	IS 252 : 2013	Caustic Soda - Specification

[F.No. 51020/78/2008/CH-II]
SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.04.09 23:04:17 +05'30'